उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी0सी0–12,वी0, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010

पंजीकृत

संदर्भ संख्या H14063 /सी–3/सहमति वायु–356/मेरठ/ 2017 दिनांक– 27.12.17

सेवा में,

मैं0 सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0,
सुभारती मेडिकल कालेज कैम्पस, सुभारतीपुरम,
मेरठ।

विषयः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने सहमति आवेदन पत्र दिनांक–21.10.2017, बोर्ड में प्राप्ति दिनॉक–26.10.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करे। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और सशर्त सहमति आदेश संख्या 922 सहमति (वायु) आदेश / 251117 दिनॉक 27/12/17 संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है:–

1. सहमति में दिये गये शर्तो का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

2. फ्लू गैस प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या त्रैमासिक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

3. आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।

4. उचित मात्रा से वृक्षारोपण करें, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें ।

5. यह सहमति बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु स्थापित इंसीनरेटर क्षमता 300 किग्रा0/घंटा, श्रेडर क्षमता 300 किग्रा0/घंटा एवं आटोक्लेब क्षमता 300 किग्रा0/घंटा हेतु मान्य है।

6. उद्योग का पर्यावरणीय वक्तव्य प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

7. उद्योग द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स–2016 के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

8. बेबी ब्वालर से सम्बद्ध चिमनी की ऊंचाई 11 मीटर की जाये।

.................2/–

मैं0 सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0,
सुभारती मेडिकल कालेज कैम्पस, सुभारतीपुरम, मेरठ।

9. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था का संचालन एवं रख–रखाव इस प्रकार किया जाये, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो ।
10. इन्सीनरेटर से होने वाले उत्सर्जन में पार्टिकूलेट मैटर, नाइट्रोजन आक्साइड, एच0सी0एल0 एवं ऐश में वालेटाइल आर्गेनिक कम्पाउण्ड की अनुश्रवण/विश्लेषण आख्या एक माह में प्रेषित किया जाये।
11. उद्योग में वायु उत्सर्जन अनुश्रवण हेतु आन लाईन मानिटरिंग व्यवस्था का डाटा नियमित तथा सतत रूप से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम–1986 के प्राविधानों एवं इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
13. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
14. यदि इकाई के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बन्दी आदेश निर्गत किया जाता है तो उक्त उद्योग के संचालन हेतु निर्गत सहमति, बन्दी आदेश की अवधि में स्वतः निलम्बित रहेगी तथा उद्योग द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किये जाने पर उद्योग के बन्दी निक्षेपण किये जाने के साथ ही बन्दी निक्षेपण की अतिरिक्त शर्तों के साथ उद्योग की संचालन सहमति स्वमेव प्रभावी हो जायेगी।
15. पेट कोक एवं फर्नेश ऑयल का ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने के प्रसंग में रिट पिटीशन (सिविल) संख्या–13029/1985 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

इस आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तो के होते हुए भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तो में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

(पारस नाथ)
पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी (वृत्त–3)

संदर्भ संख्या.....वायु प्रदूषण.....तद् दिनॉक.....

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी (वृत्त–3)

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी.सी.–12, वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010

सहमति आदेश पत्र

संख्या ...927 सहमति (वायु) आदेश ...356..../17 लखनऊ दिनॉक–27/12/17

विषयः **मै0 सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0, सुभारती मेडिकल कालेज कैम्पस, सुभारतीपुरम, मेरठ** को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21/22 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ : आवेदन दिनांकः 21.10.2017 प्राप्ति दिनॉकः 26.10.2017

1. वायु अधिनियम, 1981 के अर्न्तगत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र **मै0 सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0, सुभारती मेडिकल कालेज कैम्पस, सुभारतीपुरम, मेरठ** को अपने संयंत्रो से संलग्नक में वर्णित शर्तो के अनुरूप वायु मण्ड़ल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड़ द्वारा अधिकृत किया जाता हैं।

2 यह सहमति दिनांक–31.12.2019 तक की अवधि हेतु विधिमान्य है।

3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तो के होते हुए भी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड़, लखनऊ वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/शर्तो में पुनः विचार करनें के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड़ के लिए आरक्षित हैं।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

(पारस नाथ)
पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी (वृत्त–3)

अनुलग्नक संलग्नक
(सहमति शर्तें)

मैं0 सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0,
सुभारती मेडिकल कालेज कैम्पस, सुभारतीपुरम, मेरठ।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ

संलग्नक सहमति आदेश सख्या...../सहमति (वायु) आदेश/.....दिनांक.....

सहमति शर्तें

1– फ्लू गैस की प्रतिघंटा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए।

(i) इन्सीनरेटर पर भूतल से सम्बद्ध चिमनी 30 मीटर।
(ii) बेबी ब्वायलर पर भूतल से सम्बद्ध चिमनी 9 मीटर।
(iii) 62.5 के0वी0ए0 क्षमता के डी0जी0 सेट से सम्बद्ध चिमनी की ऊंचाई निकटतम भवन छत से 2 मीटर।

2– वायु मण्ड़ल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित प्रचालक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम,1986 में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

इन्सीनरेटर हेतु

(i) सस्पैन्डेड पार्टिकुलेट मैटर (एस0पी0एम0)	150 मिलीग्राम प्रतिनार्मल क्यूबिक मीटर
(ii) नाइट्रोजन आक्साइड	450 मिलीग्राम प्रतिनार्मल क्यूबिक मीटर
(iii) एच0सी0एल0	50 मिलीग्राम प्रतिनार्मल क्यूबिक मीटर
(iv) ऐश मे वालेटाइल आर्गेनिक कम्पाउण्ड	0.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये

3– समय–समय पर बोर्ड़ द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।

4– बोर्ड़ द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण एवं अनुश्रवण हेतु संयंत्रो का अधिस्थापना उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हों।

5– बोर्ड़ के निर्देशों के अनुरूप ही उद्योग द्वारा कार्यरत प्रदूषण संयंत्रो में संशोधन अथवा प्रतिस्थापना (यदि सक्षम एवं अनुरूप न पाये गये हो) किया जा सकता हैं।

6– बिन्दु 4,5 एवं 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रो के कार्यरत स्थिति में इकाई में रखा जाय।

7– इकाई परिक्षेत्र प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाय।

8– सहमति आदेश निर्गत किये जाने की दिनॉक के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण किए जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाए। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाए एवं इसकी मासिक आख्या बोर्ड़ में जमा की जाये।

9– (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तो का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई के द्वारा सुनिश्चित किया जाय एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के दो माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की समस्त शर्तो व अनुपालन बोर्ड़ के संस्तुति के अनुसार कर लिया जाये।

10– किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण से निर्धारित मानकों संदर्भित धारा–29 से अधिक होता हैं या होने की सम्भावना हो या बोर्ड़ एवं अन्य संस्थानो जो संदर्भित धारा 29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) धारा 1983 वर्णित हैं, को सूचित करना चाहिए।

11– इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक से किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड़ की पूर्व अनुमति के न किया जाये।

12– इकाई का रख–रखाव इस प्रकार इकाई से सुनिश्चित किया जाये कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन स्टैक के अतिरिक्त अन्य बिन्दु से नहीं होना चाहिए।

13– इकाई द्वारा बोर्ड़ कर्मचारियों अथवा बोर्ड़ मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा चिमनी अथवा उक्त किसी अन्य ''आउट लेट'' से वायु का नमूना एकत्रित किये जाने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाये।

14– इकाई से आबादी कृषक उपज इत्यादि को कोई नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाये तथा हटाने की सूचना को तत्काल बोर्ड़ को दी जाये।

15– आवेदनकर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिये जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाये। किसी भी समय पर दिये गये आदेश/निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तो का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता/इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

16– उपरोक्त इंगित समस्त शर्ते अधिनियम के धारा 21(6) के अन्तर्गत निरस्त न किए जाने तक वैध रहेगी।

17– आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन–पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाय यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति पत्र आदेश को वैधता समाप्त होने से 04 माह अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी का कार्यन्यवन तिथि हो एवं प्रस्तावित उत्सर्जन की तिथि 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाय।

18– बोर्ड़ के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करा दी जायेगी।

19– आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड़ को अनुश्रवण एवं प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रो के निर्माण अधिस्थापना अथवा संचालन तथा अन्य सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियंत्रण में सम्बन्धित हो उपलब्ध करानी होगी।

20– इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर के अपने उद्योग के ड़ाइरेक्टर्स, प्रोपराइटर्स का पता दूरभाष संख्या की लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।

21– इस आदेश में अंकित सूचना तथा शर्तो के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड़, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधन अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तो में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड़ के लिए आरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।
सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

(पारस नाथ)
पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी (वृत्त–3)

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी0सी0–12, वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010

पंजीकृत

संदर्भ संख्या H14062 / सी–3 / सहमति जल–368 / मेरठ / 2017 दिनॉक 27/12/17

सेवा में,

मैं0 सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0,
सुभारती मेडिकल कालेज कैम्पस, सुभारतीपुरम,
मेरठ।

विषयः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 25 / 26 के अन्तर्गत घरेलू / प्रकिया जनित उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति ।

महोदय,

कृपया अपने सहमति आवेदन पत्र दिनांक–21.10.2017, बोर्ड में प्राप्ति दिनॉक 26.10.2017 का संदर्भ लें। आवेदन पत्र परीक्षण किया गया सशर्त सहमति आदेश पत्रांक 9221/C(8/17) दिनॉक 27/12/17 संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा हैं :–

1. सहमति शर्तो का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।

2. कृपया ठोस अपशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी सरिता भूमिगत जल या अन्य किसी स्रोत का जल प्रदूषित न हों।

3. उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन नियमित एवं प्रभावी ढंग से इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि जनित शुद्धिकृत उत्प्रवाह बोर्ड मानकों के अनुरूप हो। शुद्धिकृत उत्प्रवाह को पुनः चक्रित एवं सिंचाई हेतु प्रयुक्त किया जाये।

4. उद्योग परिसर में उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीनें भेजें।

5. उद्योग का पर्यावरणीय वक्तव्य प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

6. उद्योग की आडिट की हुई नवीनतम बैलेन्सशीट शुल्क सत्यापन हेतु एक माह में प्रेषित की जाये।

7. उद्योग द्वारा शुद्धिकृत उत्प्रवाह की जल गुणता रिपोर्ट किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराकर तीन माह में प्रेषित की जाये।

8. स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के संचालन में प्रयुक्त विद्युत की माप हेतु अलग से विद्युत मीटर की स्थापना की जाये तथा लागबुक मेनटेन की जाये।

..................2 / –

मैं0 सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0,
सुभारती मेडिकल कालेज कैम्पस, सुभारतीपुरम, मेरठ।

9. उद्योग द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स–2016 के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

10. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0 का0 अ0 3187 (अ) दिनांक 07.10.2016 के प्रावधानों का अक्षरशः समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

11. यह सहमति बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु स्थापित इंसीनरेटर क्षमता 300 किग्रा0/घंटा, श्रेडर क्षमता 300 किग्रा0/घंटा एवं आटोक्लेब क्षमता 300 किग्रा0/घंटा हेतु मान्य है।

12. उद्योग का संचालन इस प्रकार किया जाये कि आस–पास के वातावरण एवं मन–मानस पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

13. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम–1986 के प्राविधानों एवं इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जायेगा।

14. उद्योग द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

15. यदि इकाई के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बन्दी आदेश निर्गत किया जाता है तो उक्त उद्योग के संचालन हेतु निर्गत सहमति, बन्दी आदेश की अवधि में स्वतः निलम्बित रहेगी तथा उद्योग द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किये जाने पर उद्योग के बन्दी निक्षेपण किये जाने के साथ ही बन्दी निक्षेपण की अतिरिक्त शर्तों के साथ उद्योग की संचालन सहमति स्वमेव प्रभावी हो जायेगी।

इस आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तो के होते हुये भी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम 1978 की धारा 27 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तो में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती हैं।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।
सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

(पारस नाथ)
पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी (वृत्त–3)

पृ0 सं0...../ तद् दिनॉक.....

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी (वृत्त–3)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0 सी0 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV
सहमति आदेश पत्र

संदर्भ संख्या 933 /सी–3/जल सहमति आदेश 2618 /2017 लखनऊ, दिनॉक– 27/10/17

विषयः– मैं0 सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0, सुभारती मेडिकल कालेज कैम्पस, सुभारतीपुरम, मेरठ को जल (प्रदूषण निवारण नियंत्रण)1974 (यथा संशोधित) के धारा 25/26 के अंर्तगर्त उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भः आवेदन पत्र दिनांक : 21.10.2017 दिनॉक : 26.10.2017

1 जल राशि या (ड्रेन) में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिससे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश में **मैं0 सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0, सुभारती मेडिकल कालेज कैम्पस, सुभारतीपुरम, मेरठ** को उसके परिसर से निकलने वाले उसके औद्योगिक बहिःश्राव को ई0 टी0 पी0 के माध्यम से सिंचाई/ड्रेन द्वारा सरिता/नदी में निस्तारित करने के लिए तथा घरेलू उत्प्रवाह को सेप्टिक टैंक/सोकपिट के माध्यम से निस्तारित करने हेतु अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तो के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।

2. यह सहमति दिनांक–31.12.2019 तक की अवधि हेतु विधिमान्य है।

3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तो के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथा संशोधित की धारा–27(2) के अन्तर्गत वर्णित किसी भी/सभी शर्तो में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, क्म अधिकार व शक्ति बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से।
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।
सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

(पारस नाथ)
पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी (वृत्त–3)

अनुलग्नक : संलग्नक ।
(सहमति शर्ते)

मैं0 सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0,
सुभारती मेडिकल कालेज कैम्पस, सुभारतीपुरम, मेरठ।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ

सहमति आदेश संख्या–...../सहमति(जल)/आदेश/.....दिनॉक..... का संलग्नक

सहमति शर्तें

1. अधिकतम दैनिक उत्प्रवाह और प्रति घण्टे में निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह की दर निम्न से अधिक नही होनी चाहिए ।

उत्प्रवाह का प्रकार	अधिकतम दैनिक निस्तारण	निस्तारण बिन्दु
(i) घरेलू–	500 ली0/दिन।	(सैप्टिक टैंक/सोकपिट के माध्यम से शुद्धिकृत किया जाये)
(ii) औद्योगिक–	500 ली0/दिन।	(शुद्धिकृत उत्प्रवाह को पुनः चक्रण एवं सिचाई हेतु प्रयुक्त किया जाये। किसी भी सर्फेस वाटर बाडी नदी नाले/तालाब में निस्तारण अनुमन्य नहीं है।)

2. ब्लीड जल सहित प्रकिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्प्रवाह को एकत्र करने के लिए अलग–अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाई जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अन्तिम छोर टर्मिनल मेनहोल/अन्तिम निस्तारण बिन्दु, उत्प्रवाह मापन तथा उत्वाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उत्प्रवाह अन्तिम निस्तारण बिन्दु/मेनहोल के डाउन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नही करना चाहिए। सहमति आवेदन पत्र में सूचित उत्प्रवाह के अलावा अन्य कोई उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नही करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रवाह स्ट्रीम वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो ।

3. औद्योगिक उत्प्रवाह शुद्धिकरण के उपरान्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 में निर्धारित मानको के अनुरूप हो।

4. सभी प्रकियाओं से जनित उत्प्रवाह, ब्लीड जल, शीतलन उत्प्रवाह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह सहित औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकृत किया जाये कि उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।

5. अन्य प्रचालक जिनके मान मानक में न दिये हो उनका मान उद्योग में निर्माण प्रकिया में प्रयुक्त किये जाने वाले जल के मानकों से अधिक नही होना चाहिए।

6. घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रवाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद के संशोधनों/पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 में निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

7 विश्लेषित करने के लिए नमूना शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिए।

8. शर्त संख्या—2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल ऊपर से ढके ताले लगाने की व्यवस्थायुक्त कम से कम 15x15 साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेण्ट चैम्बर होने चाहियें। टर्मिनल मेनहोल के उत्प्रवाह नापने तथा विश्लेषण के लिये नमूना लेने की व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिये।

9. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह मिलाकर (उपरोक्त शर्त संख्या—2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह मापने की व्यवस्था होनी चाहिये।

10. शुद्धीकृत घरेलू व औद्योगिक उत्पव्राह शर्त सं0—9 में वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अंतिम निस्तारण बिन्दु नाले/काली नदी पूर्वी तक पक्के ढके हुये बंद पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारिया किया जाये। पक्की ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार बिछाना चाहिये जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसे हानि न पहुंचाया जाये। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहोल की भांति बनाया जाये। बन्द पाइपों में स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनाया जाये।

11. इन शर्तों का विशेष रूप से उत्प्रवाह शुद्धिकरण, उत्प्रवाह नमूना, एकत्र करने की व्यवस्था टर्मिनल मेनहोल या टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के संबंध में दिनांक दो माह या उससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जाये।

12. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तो की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजें।

13. विस्तृत निर्माण स्थल रेखाचित्र उत्प्रवाह ले जाने वाले पाइप लाइन की अनुदैर्ध्य काट व प्लान तथा शर्त 8,9, व 10 में वर्णित अंतिम निस्तारण बिन्दु का स्थल रेखाचित्र इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेजें।

14. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात, तूफान के जल को भली भॉति रखा जाये और किसी भी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाये। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हो, का खुले में ढेर न लगाया जाये।

15. फैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अपशिष्ट पदार्थो (हैजार्डस अपशिष्ट को छोड कर भली भॉति वर्गीकरण व निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाये।

(i) अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिए इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाये कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करें या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाए।

(ii) ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रित प्रज्वलन किया जाये।

(iii) जैविक अवघट्य पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग की जाये।

16. विशेष पदार्थो का विषैलापन अगर संभव हो सके तो दूर किया जाये अन्यथा उन्हे बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबन्द स्टील ड्रम में रखा जाये। विषमुक्त करने या मुहरबन्द करने का कार्य बोर्ड में अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में ही अनुमति लेकर किया जाये।

17. यदि फैक्ट्री के किसी संयंत्र/संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्रवाह की मात्रा बढ़ जाए और/या उपरोक्त पैरा—3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो उत्प्रवाह का जनित होना तत्काल बन्द किया जाये तथा सुधार होने पर ही पुनः जनित कर ई0 टी0 पी0 के माध्यम से ट्रीट कर निस्तारित किया जाये।

18. प्रार्थी फैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रख—रखाव स्थापित करें। सभी पाइप, वाल्व, सीवर और ड्रेन रिसावरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रवाह, उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नही दिया जाना चाहिए।

19. प्रार्थी को टर्मिनल मेनहोल तथा अन्तिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

20. शुद्धिकृत घरेलू व प्रकिया जनित उत्पव्राह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किये जाने वाले दिन, तीन महीने में एक बार लिया जाये और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जाये। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त/समय--समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।

21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किये इस सहमति आदेश में दिय गये निर्देशों तथा बाद में समय--समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करें और/या इस सहमति आदेश की शर्तो का उल्लंघन करें तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।

22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा, उत्प्रवाह निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदले या परिवर्तन करे।

23. उपरोक्त शर्ते जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत समाप्त नही कर दी जाती है, तब तक लागू रहेगी।

24. प्रार्थी की सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम चार माह पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किये जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।

25. एक निरीक्षण पुस्तिका खोली जानी चाहिए और बोर्ड के अधिकारियों को फैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

26 प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने संबंधी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से संबंधित सूचना फैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और/या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध कराये।

27. फैक्ट्री परिसर से अन्तिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिचाई योग्य फार्म, तक उत्पव्राह ले जाने वाली चैनल, सीवर, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोबिक स्थितियॉ या मच्छरों की पैदावार हो, को नही होने दिया जाए।

28. निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारों), प्रोपराइटर(प्रोपराइटरों) के नाम, पदों व टेलीफोन की सूचना दी जाये।

29. सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिये गये सहमति शर्तो के होते हुए भी उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तो में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, या अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।
सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

(पारस नाथ)
पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी (वृत्त--3)